

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH
AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 994/2024

IN THE MATTER OF:

POORAN SINGH CHAUHAN

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UP & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-4
2.	<u>Annexure R1</u> True Copy of Office Order dated 27.08.2025 sent by the District Magistrate, Agra	5
3.	<u>Annexure R2</u> True Copy of Joint Inspection Report dated 30.08.2025	6-14
4.	<u>Annexure R3</u> True Copy of letter dated 03.09.2025 sent by Executive Engineer, Jal Kal Vibhag Nagar Nigam, Agra	15
3.	Proof of Service	16

THROUGH ADITYA VAIBHAV SINGH

Counsel for UPPCB
A-394, Defense Colony
New Delhi- 110024

PLACE: NEW DELHI

DATE: 05.09.2025



**क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।**

पत्रांक -499/एल-276/2025

दिनांक - 04/09/2025

मा०एन०जी०टी० प्रकरण/समयबद्ध/महत्वपूर्ण

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-994/2024 पूरन सिंह चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-994/2024 पूरन सिंह चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय के ई-मेल दिनांक 04.09.2025 से प्राप्त शपथ पत्र नोटराईज्ड कराकर मय संलग्नकों के साथ इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि बोर्ड मुख्यालय के विधि अनुभाग से मा० अधिकरण में ससमय अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने हेतु नामित बोर्ड अधिवक्ता को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर से प्रेषित कराने का कष्ट करें। उक्त योजित अपील की अग्रिम सुनवाई तिथि 09.09.2025 नियत है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

**AMIT
MISHRA**

Digitally signed by AMIT
MISHRA
Date: 2025.09.04 20:40:02
+05'30'

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नांकित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. श्री आदित्य वैभव सिंह, बोर्ड अधिवक्ता, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

AMIT MISHRA

Digitally signed by AMIT
MISHRA
Date: 2025.09.04 20:40:43
+05'30'

क्षेत्रीय अधिकारी

**Before The Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi**

Original Application No. 994/2024

IN THE MATTER OF:

POORAN SINGH CHAUHAN

....APPLICANT

Versus

STATE OF UP & Ors.



....RESPONDENTS

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH
POLLUTION CONTROL BOARD IN PURSUANCE TO THE
ORDER DATED 17.07.2025 PASSED BY THIS HON'BLE
TRIBUNAL.**

I, Amit Mishra aged about 45 years, S/o Shri D.P. Mishra, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Agra, do hereby solemnly affirm and state as under:


1. That I, deponent in the official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such competent and authorized to swear this affidavit.

That in compliance to the directions passed by Hon'ble Tribunal dated 17.07.2025 District Magistrate, Agra vide office order dated 27.08.2025 has constituted a committee comprising Secretary Agra Development Authority, Agra,




ADM (Namami Gange), Agra, ADM (City), Agra, SDM, Agra and Regional Officer UPPCB Agra. The mandate of the committee is to visit Gayatri Manhar Green Colony, Shastripuram, Sikandra, Agra on 30.08.2025. A true copy of office order dated 27.08.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure-1**

3. The above committee has inspected the site of Gayatri Manhar Green Colony, Shastripuram, Sikandra, Agra, park at Khasra No. 152, South Gate and North Gate of the colony on 30.08.2025. A true copy of joint inspection report dated 30.08.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure-2**
4. That Agra Development Authority vide letter dated 04.09.2025 has mentioned that 02 parks were approved by the Authority in the layout map but there is only one park developed by the builder and the second park is not developed as per the approved layout map. The authority vide letter dated 02.09.2025 has directed the developer to develop the park as per the approved layout map.
5. That Agra Development Authority vide letter dated 04.09.2025 has mentioned that as per the approved layout map there is one entry and exit gate was approved in the north direction at Khasra no. 151 of M/s Gayatri Manhar Green Colony, Shastripuram, Sikandra, Agra. However, the local people of the colony have developed another gate for entry and exit in South direction at Khasra no. 151 of the colony. The authority vide letter dated 27.08.2025 has directed the developer to develop the colony as per the approved layout map.



6. That Agra Development Authority vide letter dated 04.09.2025 has mentioned that there is no land approved for park and utility purposes at Khasra No. 152 mi/1 at Gram Mohammadpur.
7. That during inspection dated 30.08.2025 it was found that there are two main gates one is at north direction and other is at south direction of M/s Gayatri Manhar Green Colony, Shastripuram, Sikandra, Agra. There is one overhead tank is established for water supply which is having storage capacity of approximately 1 MLD. At the south gate of the colony there is an underground sewerage line is operational which takes the domestic sewer of the colony and convey it to the 36 MLD STP at Sadar-van Bichpuri, Agra. In this regard Executive Engineer, Jal Kal Vibhag Nagar Nigam Agra vide letter dated 03.09.2025 has communicated the confirmation. A true copy of letter dated 03.09.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure-3**

That present Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.





DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ...Agra...on this ...04th... day of September, 2025
that the contents of the above affidavit are true and correct to the
best of my knowledge and belief and nothing material has been
concealed there from.


DEPONENT

05/22/2025
Explained to Sr. Amit Mishra
Read by Regional Officer U.P.C.S.
who understood the contents Am
Solemnly affirmed & declare on
Oath on 04/09/2025
At Agra
Identified by Self



Annexure R1

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 विषयक बैठक का कार्यवृत्त :

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु दिनांक 26.08.2025 को साय 11:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, आगरा में आहूत की गयी। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे -

संवन्धी:

1. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
3. मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
5. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन हेतु समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत चर्चा के दौरान दिये गये निर्देश निम्नवत् हैं -

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुक्रम में एक संयुक्त समिति गठित की जाती है, जिसके सदस्य क्रमशः हैं -
 - i. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
 - ii. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) आगरा।
 - iii. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
 - iv. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।
 - v. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
2. गठित समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी है -
 - गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 30/08/2025 को प्रातः 11:30 बजे गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा में याचिकाकर्ता की उपस्थिति में मौकें पर जाकर जाँच करना सुनिश्चित करेंगे।
 - गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के दक्षिणी गेट के निकट खसरा नं0-152 भू स्वामित्व की स्थिति की जाँच करना।
 - गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के दक्षिणी गेट के निकट खसरा नं0-152 पार्क की सीमा पर हुए अतिक्रमण की जाँच करना।

(कार्यवाही-उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, अपर जिलाधिकारी(नगर), आगरा, उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) आगरा)

(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी)
जिलाधिकारी
आगरा।

पत्रांक 484/L-276/2025

दिनांक 27.08.25

प्रतिलिपि- निम्नांकित महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
4. मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
6. उपजिलाधिकारी, सदर, आगरा।

जिलाधिकारी
आगरा।

6
कार्यालय जिलाधिकारी आगरा।
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

Annexure R2

पत्रांक: 92/एस0टी0/ए0डी0एम0(एन0जी0)/2025

दिनांक: 04/09/2025

सेवा में,
जिलाधिकारी
आगरा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-994/2024 पूरन सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में संयुक्त जाँच की संकलित आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के पत्रांक संख्या 483/एल-276/2025 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में गायत्री मनहर ग्रीन कालोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा सिकन्दरा में निरीक्षण हेतु निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया गया था।

1. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
4. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

उक्त संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के दक्षिणी गेट के निकट खसरा नं0-152 भू स्वामित्व की स्थिति एवं खसरा नं0-152 पार्क की सीमा पर हुए अतिक्रमण की जाँच कर संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


04/09/2025

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
आगरा

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-994/2024 पूरन सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में संयुक्त जाँच की संकलित आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-994/2024 पूरन सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

- "10. In view of the facts and circumstances of the case we consider it necessary to have response from (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, (2) SEIAA, Uttar Pradesh through its Member Secretary, (3) District Magistrate, Agra, (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board through its Member Secretary and (5) Agra Development authority through its Vice-Chairman who are impleaded as respondents no. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the original application accordingly. Respondents no. 1 to 4 are already represented before this Tribunal through Counsel. The Registry is directed to issue notice to respondent no. 5.
11. Responses to the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee and all relevant facts may be filed by the respondents with requisite details within one month.
12. In the facts and circumstances of the case we consider personal appearance of the District Magistrate, Agra and Vice-Chairman, Agra Development Authority before this Tribunal physically or through VC and also production of the relevant record before this Tribunal physically through some officers duly authorized by them to be essential for just and proper adjudication of the questions involved in the case and accordingly they are directed to appear before this Tribunal and also produce the relevant record through duly authorized officer on the next date of hearing fixed.
13. In view of the Precautionary Principle embodied in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010, we direct that status quo be maintained with respect to the land comprised in Khasra No. 152 and no third-party rights be created in respect to the same by any of the parties till further orders to the contrary.
14. None has appeared for the applicant today. An effort was made to contact the applicant during the course of the hearing of the case which remained unsuccessful. Presence of the applicant is also essential for just and proper adjudication of the questions involved.
15. The Registry is directed to inform the applicant about the next date of hearing fixed requiring the applicant to appear on that date physically or through VC while mentioning that in case of its non-appearance appropriate orders for imposition of cost on the applicant may be passed.
16. List for further consideration on 09.09.2025. "

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-994/2024 पूरन सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुक्रम में अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार निम्नांकित कृत कार्यवाही का विवरण कमशः है-

(क) यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0-994/2024 Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 26.08.2025 को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई. सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त पत्र सं0-484/एल-276/2025 दिनांक 27.08.2025 (संलग्नक-1) है।

(ख) बैठक दिनांक 26.08.2025 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के आदेश पत्र सं0-483/एल-276/2025 दिनांक 27.08.2025 (संलग्नक-2) संयुक्त निरीक्षण निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया गया।

1. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
4. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।

5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

उपरोक्त के तत्कम में संयुक्त समिति के सदस्यों/प्रतिनिधियों द्वारा मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 30.08.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय वादी श्री पूरन सिंह चौहान उपस्थित थे।

(ग) संयुक्त निरीक्षणोंपरान्त आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा, जिला प्रशासन, आगरा एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा में विभागवार उपलब्ध कार्यालय अभिलेखों अनुसार निम्नांकित जाँच आख्या प्राप्त हुयी हैं, जिसका विवरण क्रमशः है—

● आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा:—

सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के कार्यालय प्रवर्तन-अनुभाग पत्र सं०-1713/डी/अ०नि०/2025-26 दिनांक 02.09.2025 (संलग्नक-3) द्वारा नियत समय व तिथि पर संयुक्त निरीक्षणोंपरान्त आख्या प्रेषित की गयी है। जो कि क्रमशः है—

“ अवगत कराना है कि श्रीमती सुनीता पालीवाल पत्नी श्री निरंजन पालीवाल, सचिव द्वारा श्री तीर्थ सहकारी आवास समिति लि. के नाम से ग्राम-मोहम्मदपुर खसरा नं०-151 आगरा के कुल क्षेत्रफल 10469.12 वर्ग मी० पर दिनांक 04.08.2010 को आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराया गया। उक्त तलपट मानचित्र को खसरा नं०-151 के उत्तर दिशा में विद्यमान चक मार्ग को रोड़ वाइडनिंग कर 12.00 मी० चौड़ा करते हुए एप्रोच देकर स्वीकृत कराया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा जिस संदर्भित भूमि का उल्लेख किया गया है वह भूमि खसरा नं०-152 है। इस संदर्भित भूमि पर आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया है।” यह कि उक्त प्रस्तुत स्थल की आख्या के परिशीलनोंपरान्त कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या 493/एल-276/2025 दिनांक 03.09.2025 (संलग्नक-4) द्वारा निम्नांकित तथ्यों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है:—

बिन्दु संख्या-1	मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा में ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं०-151 (कुल क्षेत्रफल 10469.12 वर्ग मी०) में आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पार्कों की संख्या, क्षेत्रफल एवं ग्रीनबेल्ट का विवरण तथा वर्तमान की स्थिति का उल्लेख नहीं है।	उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पत्र संख्या-1737/डी/अ०नि०/2025-26 दिनांक 04.09.2025 द्वारा उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं के क्रम में आख्या प्रस्तुत की गई है (संलग्नक-5) क्रमशः— मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा में ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं०-151 (कुल स्वीकृत क्षेत्रफल 10469.12 वर्गमी०) में आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट स्वीकृत मानचित्र (संलग्नक-6) के अनुसार पार्कों की संख्या-02 है, जिनका संयुक्त रूप से क्षेत्रफल 1,573.63 वर्गमी० है। ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं०-151 में स्वीकृत मानचित्र अनुसार ग्रीनबेल्ट नहीं है। स्वीकृत तलपट मानचित्र के मध्य में एक बड़ा पार्क है, उक्त पार्क विकसित है। दूसरा पार्क स्वीकृत तलपट मानचित्र की दक्षिण दिश की ओर है, जो तलपट मानचित्र के अनुरूप विकसित नहीं है, जिसके सम्बन्ध में संबंधित विकासकर्ता को
-----------------	--	---

		स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किये जाने हेतु पत्रांक-1711/डी/अ0नि0/25-26, दिनांक 02.09.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है (संलग्नक-7)
बिन्दु संख्या-2	खसरा सं0-151 में स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार उत्तर दिशा में प्रवेश व निकास हेतु विद्यमान चक मार्ग को रोड़ वाइडनिंग कर 12.00 मी0 चौड़ा करते हुए एप्रोच देकर स्वीकृत किया गया है। यद्यपि मै0 गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के स्थानीय निवासियों द्वारा दक्षिण दिशा में खसरा सं0-152 की तरफ स्थापित गेट से प्रवेश व निकास हेतु उपयोग किया जा रहा है। स्वीकृत तलपट मानचित्र के विरत दक्षिण दिशा में स्थापित गेट के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा विभागीय कृत कार्यवाही की सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी है।	खसरा सं0-151 में स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार उत्तर दिशा में प्रवेश व निकास हेतु विद्यमान चकमार्ग को रोड़ वाइडनिंग सहित 12.00 मी0 चौड़ा करते हुए एप्रोच देकर स्वीकृत किया गया है। यद्यपि मै0 गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के स्थानीय निवासियों द्वारा दक्षिण दिशा में खसरा सं0-152 की तरफ स्थापित गेट से प्रवेश व निकास हेतु उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में विकासकर्ता को स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किये जाने हेतु पत्रांक-1668/डी/अ0नि0/2025, दिनांक 27.08.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है (संलग्नक-8)
बिन्दु संख्या-3	आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा खसरा सं0-152, में सार्वजनिक उपयोग के लिये पार्क और अन्य उपयोगिता (यूटिलिटी) जैसी- आवश्यक सुविधाओं के लिये भूमि का आवंटन की वस्तु स्थिति का उल्लेख नहीं है।	प्राधिकरण द्वारा अर्जित ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं0-152मि0/1 की भूमि पर स्वीकृत तल पट मानचित्र के अनुसार कोई भी पार्क एवं उपयोगिता (यूटिलिटी) हेतु भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर सिर्फ आवासीय भूखण्ड सृजित किए गए है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सादर अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा अर्जित ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं0-152मि0/1, रकवा 0.6910 है0 भूमि सिकन्दरा आवासीय योजना (शास्त्रीपुरम) के अन्तर्गत भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4(1)/17 दिनांक 30.01.1989 व धारा-6(1)/17 दिनांक 05.09.1989 में शामिल है, जिसका एवार्ड दिनांक 08.11.1991 को घोषित हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा उक्त अर्जित भूमिकी प्रश्नगत संदर्भित स्थल (मनहर ग्रीन कॉलोनी दक्षिण

		<p>बाउण्डी) से दूरी लगभग 200 मी० है (संलग्नक-9)</p> <p>मुख्य अभियंता आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पत्र संख्या 1742/डी/अ.नि./25-26 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा में ग्राम- मोहम्मदपुर, खसरा संख्या- 151(कुल स्वीकृत क्षेत्रफल-10469.12 वर्गमी०) में आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत है। स्थल पर मनहर ग्रीन कॉलोनी स्वीकृत तलपट मानचित्र क्षेत्रफल-10469.12 वर्गमी० में ही विकसित है।(संलग्नक-10)</p>
--	--	---

• **उपजिलाधिकारी, सदर, आगरा:-**

उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा के पत्र संख्या 4955/एस०टी० दिनांक 04.09.2025 द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राजस्व टीम द्वारा दिनांक 01.09.2025 को स्थल पर घनी आबादी बने होने के कारण टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से पैमाईश कराए जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी। तदनुसार राजस्व टीम व सर्वेयर द्वारा ई०टी०एस० के माध्यम से पैमाईश कार्य कराया गया। राजस्व टीम की आसख्या निम्नवत् है:-

प्रश्नगत स्थल गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा राजस्व ग्राम मुहम्मदपुर तहसील सदर आगरा के अन्तर्गत स्थित है। उक्त गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी गाटा संख्या 151 में बनी है। गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी के दक्षिणी गेट से एक रास्ता/सड़क प्रचलित है तथा उक्त सड़क के दोनों ओर त्रिभुज आकृति में खाली भूमि पड़ी हुई है। जिस पर कुछ वृक्ष एवं पौधे लगे हुए हैं। प्रश्नगत स्थल सर्वेयर से प्राप्त भूचित्र के अनुसार खसरा सं०-151 में 58.62 वर्गमी० तथा खसरा सं०152 में 179 वर्गमी० का भाग है।

संलग्नक खतौनी खसरा सं० 151 कुल क्षेत्रफल 1.2640हे० के स्तम्भ-2 में संकमणीय भूमिधरों के नाम मूला पुत्र विपती नि०-ग्राम, रनवीर व भगवानदास पुत्रगण-बुद्धा नि०-ग्राम व श्रीमती लीलावती पत्नी बुद्ध नि०- ग्राम व गिर्राज सह० आवास लि० द्वारा अध्यक्ष गिर्राज मित्तल व नवरंग सह० आ० स० लि० द्वारा सभापति हरीशंकर लवालियां का नाम अंकित है। खतौनी के पूर्व आदेशों के विवरण में संयुक्त अवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक के अनुसार के मध्य खसरा सं०-151 व 152 में श्री रमानुज सह०आ० समि० लि० व श्री तीर्थ सह०आ०समि०लि० आगरा के मध्य परिसम्पत्तियों व दायित्वों का विभाजन किया गया। खसरा सं०- 152/1मि० क्षेत्रफल 3.3650हे० के स्तम्भ-2 (खतौनी) में गिर्राज सह०आ०समिति लि० आगरा, नवरंग सह०आ० समिति लि० व गिर्राजा सिंह निरोत्तम सिंह, रामचन्द्र पुत्रगण रेशम सिंह नि० ग्राम० व शुम्भ हाउसिंग व का नाम अंकित खतौनी है। आदेशों के विवरण में आबादी घोषित होने व संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक के अनुसार रमानुज सह०आ०समि०लि० आगरा व श्री तीर्थ सह०आ०समि०लि० आगरा के मध्य परिसम्पत्तियों व दायित्वों का विभाजन किया गया है, तथा खसरा सं० 152/2 क्षेत्रफल 0.6740हे० पर खतौनी स्तम्भ-2 में मधुशुदन सह०आ०समि०लि० आगरा व श्री निकेतन डवलपर्स के नाम अंकित है।

स्थल पर श्री पूरन सिंह चौहान के बयान अंकित किये गये जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी शास्त्रीपुरम के दक्षिणी गेट के समाने चल रही सड़क व उसके दोनों

ओर की भूमि को डवलपर के भाई द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया। जिसे पूर्ववत: रखा जाए।

स्थल पर रास्ता/सड़क चालू है, तथा गेट की बायीं ओर व दायीं ओर भूमि रिक्त पड़ी है। जिसपर कुछ वृक्ष व पौधे लगे हुये हैं। बायीं ओर तिकोनिया में ट्रांसफार्मर लगा है।”

● **क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा :-**

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र संख्या-491/ एल-276/2025 दिनांक 01.09.2025 द्वारा जिलाधिकारी, आगरा को निरीक्षण आख्या प्रेषित की गई, जोकि संलग्नक-11 है। निरीक्षण आख्या में उल्लिखित तथ्य कमश: हैं-

- (अ) कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा का अक्षांश-27.210176 एवं देशान्तर-77.926601 नोट किया गया है तथा गूगल अर्थ की फोटोग्राफ संलग्न है।

गायत्री मनहर ग्रीन कालोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा



- (ब) यह कि नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा दिनांक 04.01.2010 द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी का कुल क्षेत्रफल-10,863.37 वर्ग मी० है, जिसका विवरण सारणीवद्ध कमश: है-

Area Chart (Area in SqM)		
Total Land Area	10,863.37	%age
Land Area for Road Widening	394.25	
Net Land Area	10,469.12	
Area under Residential Plot	6,141.20	58.66
Area under Utility shopping	142.86	1.36
Total Plot Area	6,284.06	60.02
Area Under Park	1,573.63	15.03
Area Under Road	2,539.70	24.26
Area Under Dalab Ghar	71.73	0.69
Total Residential Plots	61 Nos	
Park & Green Belts	(1) 1452.48	-
	(2) 121.15	-

मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी में दो मेन गेट स्थापित पाये गये, जो कि उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा में स्थित है। आगरा विकास प्राधिकरण, द्वारा स्वीकृत मानचित्र में उत्तर दिशा में गेट होना सूच्य है। परन्तु कॉलोनी के स्थानिक निवासियों द्वारा दक्षिण दिशा में स्थापित गेट का प्रवेश एवं निकास हेतु उपयोग किया जा रहा है। दक्षिण दिशा में स्थापित गेट/कॉलोनी के अन्दर 61 नग आवासीय प्लॉटों हेतु जल की नियमित सप्लाई किये जाने हेतु ओवरहैड वाटर टैंक स्थापित है, जिसकी अनुमानित भण्डारण क्षमता 1.0 लाख लीटर है। कॉलोनी के दक्षिण गेट के बाहर आवासीय कॉलोनी से जनित घरेलू अपशिष्ट जल (सीवेज) का निस्तारण सीवेज प्रणाली (भूमिगत पाईपलाइन एवं मैनहॉल) के माध्यम से 36 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) सदरवन बिचपुरी, आगरा

में उपचारित किया जाता है, जिसकी वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 492/एल-276/2025 दिनांक 02.09.2025 (संलग्नक-12) द्वारा महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा को पत्र प्रेषित कर सूचना चाही गयी है, जिसके क्रम में कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जोन-हरी पर्वत, जलकल विभाग, आगरा के पत्रांक संख्या-687/ईई/जोन-हरी पर्वत/2025-26 दिनांक 03.09.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि " 36 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) सदरवन बिचपुरी, आगरा से क्षेत्र (1) आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-1 से 16 तक, (2) शास्त्रीपुरम, (3) पश्चिमपुरी, (4) भगवती विहार, (5) दीप नगर, (6) राहुल नगर, (7) दहतोरा, (8) लखनपुर, (9) जगदीशपुरा, (10) बोदला, (11) मारुति स्टेट, (12) शारदा विहार, (13) अवधपुरी, (14) अलबतिया, (15) दौरेठा, (16) केदार नगर, (17) माहौर नगर आदि सम्बन्धित क्षेत्र भी 36 एम0एल0डी0 से उपचारित किये जाने के सूचना प्रेषित है।

अग्रेतर दक्षिणी गेट के बाहर कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु पोल आधारित ट्रान्सफार्मर (अनुमानित 11 के0वी0ए0) स्थित है। दक्षिणी गेट के अन्दर कालोनी में ओवरहेड वाटर टैंक, मन्दिर व गार्ड रूम स्थित है। निरीक्षण के समय लिये गये जी0पी0एस0 फोटोग्राफ संलग्न है।



(स) 36 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) सदरवन बिचपुरी, आगरा के शोधित उत्प्रावह का जल नमूना एकत्रण/विश्लेषण का कार्य सप्ताहिक क्षेत्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत कार्मिको द्वारा सप्ताहिक किया जा रहा है। माह अगस्त, 2025 की विश्लेषण आख्या संलग्न-2 है। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रचालको की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

S.N.	Parameter/Method Name	Sampling Date	Unit	Results	Standard	Detection Range	Compliance Status w.r.t. MoEF & CC norms dated 13.10.2017
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	02.08.2025	-	7.86	6.5-8.5	02-12	Compling
2	Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023		mg/1	70.0	100.0	10-20000 mg/1	Compling
3	BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	02.08.2025	mg/1	28.0	30.0	1.0-50000 mg/1	Compling

4	COD, APHA 24 th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023		mg/l	110.0	250.0	5.0-100000 mg/l	Compling
5	Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure		MPN/100 ml	680	1000	<1.8MPN /100 ml & above	Compling

S.N.	Parameter/Method Name	Sampling Date	Unit	Results	Standard	Detection Range	Compliance Status w.r.t. MoEF & CC norms dated 13.10.2017
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	08.08.2025	-	7.69	6.5-8.5	02-12	Compling
2	Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023		mg/l	74.0	100.0	10-20000 mg/l	Compling
3	BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023		mg/l	28.0	30.0	1.0-50000 mg/l	Compling
4	COD, APHA 24 th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023		mg/l	130.0	250.0	5.0-100000 mg/l	Compling
5	Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure		MPN/100 ml	600	1000	<1.8MPN /100 ml & above	Compling


S.N.	Parameter/Method Name	Sampling Date	Unit	Results	Standard	Detection Range	Compliance Status w.r.t. MoEF & CC norms dated 13.10.2017
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	14.08.2025	-	7.93	6.5-8.5	02-12	Compling
2	Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023		mg/l	58.0	100.0	10-20000 mg/l	Compling
3	BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023		mg/l	27.0	30.0	1.0-50000 mg/l	Compling
4	COD, APHA 24 th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023		mg/l	130.0	250.0	5.0-100000 mg/l	Compling
5	Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure		MPN/100 ml	610	1000	<1.8MPN /100 ml & above	Compling

निष्कर्ष:-


- वादी श्री पूरन सिंह चौहान की उपस्थिति निरीक्षण किया गया।
- खसरा सं०-151 कुल क्षेत्रफल-1.2640 हेक्टेयर है एवं खसरा सं०-152 में 152/1मि० क्षेत्रफल 3.3650 हेक्टेयर एवं 152/2 क्षे.फ. 0.6740 हेक्टेयर है।
- मुख्य अभियंता आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पत्र संख्या 1742/डी/अ.नि./25-26 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा आगरा में ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा संख्या- 151(कुल स्वीकृत क्षेत्रफल-10469.12 वर्गमी०) में आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत है। स्थल पर मनहर ग्रीन कॉलोनी स्वीकृत तलपट मानचित्र क्षेत्रफल-10469.12 वर्गमी० में ही विकसित है।
- मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा में ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं०-151 (कुल स्वीकृत क्षेत्रफल 10469.12 वर्गमी०) में आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पार्को की संख्या-02 है, जिनका संयुक्त रूप से क्षेत्रफल 1,573.63 वर्गमी० है। ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं०-151 में स्वीकृत मानचित्र अनुसार ग्रीनबेल्ट नहीं है।
- आगरा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्र के मध्य में एक बड़ा पार्क है, उक्त पार्क विकसित है। दूसरा पार्क स्वीकृत तलपट मानचित्र की दक्षिण दिशा की ओर है, जो तलपट मानचित्र के अनुरूप विकसित नहीं है, जिसके सम्बन्ध में संबंधित विकासकर्ता को स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किये जाने हेतु ए०डी०ए० पत्रांक-1711/डी/अ०नि०/25-26, दिनांक 02.09.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।
- खसरा सं०-151 में स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार उत्तर दिशा में प्रवेश व निकास हेतु विद्यमान चकमार्ग को रोड़ वाइडनिंग सहित 12.00 मी० चौड़ा करते हुए एप्रोच देकर स्वीकृत किया गया है, यद्यपि कॉलोनी निवासियों द्वारा उत्तर दिशा में स्थापित गेट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों द्वारा दक्षिण दिशा में खसरा सं०-152 की तरफ स्थापित गेट से प्रवेश व निकास हेतु उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में विकासकर्ता को स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किये जाने हेतु ए०डी०ए० पत्रांक-1668/डी/अ०नि०/2025, दिनांक 27.08.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।
- ई०टी०एस० के माध्यम से पैमाईश के अनुसार गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी गाटा संख्या 151 में बनी है। गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी के दक्षिणी गेट से एक रास्ता/सड़क प्रचलित है तथा उक्त सड़क के दोनों ओर त्रिभुज आकृति में खाली भूमि पड़ी हुई है। जिस पर कुछ वृक्ष एवं पौधे लगे हुए हैं। प्रश्नगत स्थल सर्वेयर से प्राप्त भूचित्र के अनुसार खसरा सं०-151 में 58.62 वर्गमी० तथा खसरा सं०152 में 179 वर्गमी० का भाग है।
- कॉलोनी के दक्षिण गेट के बाहर आवासीय कॉलोनी से जनित घरेलू अपशिष्ट जल (सीवेज) का निस्तारण सीवेज प्रणाली (भूमिगत पाईपलाइन एवं मैनहॉल) के माध्यम से 36 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) सदरवन बिचपुरी, आगरा में उपचारित किया जाता है।


उपरोक्त जाँच आख्यायें महोदय के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड,
आगरा।


उपजिलाधिकारी (सदर),
आगरा।


अपर जिलाधिकारी (नगर),
आगरा।


अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे),
आगरा।


सचिव (आगरा विकास प्राधिकरण),
आगरा।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जोन-हरीपर्वत, जलकल विभाग, आगरा।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, ZONE-Hariparwat, JALKAL VIBHAG, AGRA

पत्रांक 687 / ई ई / जोन हरीपर्वत / 2025-26

दिनांक 03/09/25

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
से०-3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।



विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. सं०-994 / 2024 **Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh** में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं०-492/एल-276/2025 दिनांक 02.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-994 / 2024 **Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh** में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम्, सिकन्दरा आगरा के संयुक्त निरीक्षण हेतु समिति गठित की गयी एवं जाँच की निरीक्षण आख्या अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) आगरा के माध्यम से महादेय के समक्ष दिनांक 01.09.2025 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदत्त है। उपरोक्त स्थल का समिति के सदस्यों/प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 36 एम०एल०डी० "एम०पी०एस० शिवालिक स्कूल के पास" में मुख्यतः सिकन्दरा के शास्त्रीपुरम् तथा आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा योजना से जनित घरेलू सीवेज, सीवेज प्रणाली (भूमिगत पाइप लाइन एवं मेनहॉल) के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसका शोधन 36एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) सदरवन बिचपुरी, आगरा में उपचारित किया जाता है, के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है।

अतः महोदय उपरोक्त के अलावा 36एम०एल०डी० सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) सदरवन बिचपुरी, आगरा से क्षेत्र (1) आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-1 से 16 तक, (2) शास्त्रीपुरम्, (3) पश्चिमपुरी, (4) भगवती विहार, (5) दीप नगर, (6) राहुल नगर, (7) दहतोरा, (8) लखनपुर, (9) जगदीशपुरा, (10) बोदला, (11) मारुति स्टेट, (12) शारदा विहार, (13) अवधपुरी, (14) अलबतिया, (15) दौरेठा, (16) केदार नगर, (17) माहौर नगर आदि सम्बन्धित क्षेत्र भी 36एम०एल०डी० से उपचारित किये जाने के सूचना प्रेषित है।

भवदीय,

for
अधिशासी अभियन्ता (जोन-हरीपर्वत),
जलकल विभाग, आगरा।
अधिशासी अभियन्ता
जल-कल विभाग, आगरा

संख्या व दिनांक तद।

प्रतिलिपि:- सम्बन्धित को सादर सूचनार्थ।

1. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग, आगरा।

अधिशासी अभियन्ता, (जोन-हरीपर्वत)
जलकल विभाग, आगरा।